


28.10.20 पंजाब की वास्तु आदेशात्मक पेश की। प्रत्येक
संक्षेप में इस प्रकार है कि एक प्राचीन
पत्र अन्तर्गत धारा 25 के अंतर्गत पेश
प्राचीन पेश कर विवेक विमा वि
नामानकरण से 194 दिनांक 13.12.2024
गलत रूप से निर्मित विमा गया है।
उसे मारिज कर पुनः विभिन्न वारिमाने
के नाम नामानकरण वर्ष विमा जाय।
पंजाब की वर्ष बलिस्टर कर पक्ष कारण
को लक्ष्य विमा गया। पक्ष कारण की वजह
से जवन पेश विमा गया व जिनके पत्र
पेश की विमा उन्नी सीधी बरस सुकल
पंजाब की आदेश में दिमे जाते हैं कि उक्त
नामानकरण मारिज विमा जाय है तथा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तहसीलदार करौली को निर्देशित किया
जाता है कि वे पुनः मृतक स्वातंत्र्य
के विचिंतन वारिसानो की जांच में सही
नामान्तर्गत दर्ज करें। पभावली पैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो व कायिल
कफतर हो।


सखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)